

शंकर

जगदीश पुत्रान झाबर

संतोष पुत्नी रूघवीर

श्रवण पुत्र रूघवीर जाति समस्त मीणा निवासीगण ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला

झुन्झुनू

-वादीगण

बनाम

शाक्त

अशोक पुत्रान रूघवीर जाति मीणा निवासीगण ग्राम डूण्डलोद तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नवलगढ (लैण्ड होल्डर) तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

-प्रतिवादीगण

दावा: घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकार्ड एवं विभाजन

निर्णय

निर्णय दिनांक 12.06.2018


वाद वादी दिनांक 19.02.2018 को प्राथमिक को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मौका कमिशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू.अ./2017/1025 दिनांक 19.04.2018 प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प डूण्डलोद में पेश हुई। वादी व वकील पक्षकारान के बीच स्थित पक्षकारान को सुना गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री करने में सहमति प्राप्त की गई। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित होने से वाद स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का अर्थ रहेगा। ग्राम ग्राम डूण्डलोद की भूमि ख.न. 74/1.24, 83/0.53 किता 2 कुल रकबा 1.77 है० का अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. भूमि ख.न. 74 रकबा 0.28 है० का रणजीत प्रदीप पि० धन्नाराम जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि बडौदा राज. क्षेत्र ग्रा० बैंक शाखा डूण्डलोद के रहन दर्ज की जावे।
2. भूमि ख.न. 74/2 रकबा 0.28 है० का राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र बालूराम जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. भूमि ख.न. 74/3 रकबा 0.56 है० का सुभाषचन्द्र बनवारीलाल पि० गिरधारी हि० 5/6 शांतिदेवी पत्नी गिरधारी हि० 1/6 जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि बडौदा राज. क्षेत्र ग्रा० बैंक शाखा डूण्डलोद के रहन दर्ज की जावे।
4. भूमि ख.न. 74/4/0.03, 83/0.25 किता 2 कुल रकबा 0.28 है० का गुलझारीलाल पुत्र पूरनराम जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

ख.न. 83/1 रकबा 0.28 है० का शिशपाल पुत्र पूरनराम मोहनीदेवी पत्नी शिशपाल जाति को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ख.न. 74/1/0.09 है० का रणजीत प्रदीप पि० धन्नाराम हि० 1/6 राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र राम हि० 1/6 सुभाषचन्द्र बनवारीलाल पि० गिरधारी हि० 5/18 शांतिदेवी पत्नी गिरधारी हि० 1/6 गुलझारीलाल पुत्र पूरणराम हि० 1/6 शिशपाल पुत्र पूरनराम मोहनदेवी पत्नी शिशपाल 1/6 जाति मीणा को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राहिन सुभाषचन्द्र गरीलाल हि० 5/18 शांतिदेवी हि० 1/18 रणजीत प्रदीप हि० 1/6 बडौदा राज. क्षै. ग्रा.बैंक का डूण्डलोद के रहन दर्ज की जावे।

बलरिया की भूमि ख.न. 46 रकबा 1.32 है० में वादीगण नं. 1 लगायत 3 का नाम हजफ प्रजा जाता है।

नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर प्रैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद । तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पर्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को मजमे शिविर सुनाया

(दुर्गा प्रसन्न मीना)

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ
बवलगढ

